न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 19/2021

श्री भवंरलाल सेनी पुत्र श्री गोपाल लाल सैनी निवासी वार्ड न. 20 गांधीपुरा लाखेरी जिला बूंदी राज.

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा, टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 22—7—2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 24—04—2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

1 दिनांक 19.3.2021 को प्रार्थीया खातेदार सन्तोष मीना पत्नि मीठा लाल मीणा निवासी ग्राम कोटडी तहसील उनियारा की कृषि भूमि की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे।

2 मौका रिपोर्ट में ख.न. 253 मौके पर 17 पेड नीम के 2 पेड बील के एक सफेदा एक खजूर व कच्चे कमरे दिवारें ढही हुई, खेल, ढाणा तथा 50 मेहन्दी की झाडिया सभी का अलग—अलग मुआवजा निर्धारण कर प्रति उपलब्ध करायी जावे।

3 उस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे जिसके तहत दिनांक 19.3.2021 को बिना मुआवजा भुगतान किये प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि से बिन्दु संख्या 2 में विर्णित वृक्षों को नष्ट किया गया था।

4 दिनांक 19.3.2021 को बिना मुआवजा भुगतान किये प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि ख.न. 253 पर जे.सी.बी. चलवाने वाले सभी कार्मिको अधिकारियों का पद व नाम की जानकारी उपलब्ध करायी जावें।

5 प्रार्थीया सन्तोष मीना पत्नि मीठा लाल मीणा निवासी ग्राम कोटडी तहसील उनियारा का अब तक भुगतान नही किये जाने की कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

6 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली—बडोदा के निर्माण हेतु अधिग्रहण की गयी कृषि भूमियों में स्थित हरे वृक्षों को [illegible] मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त की गयी स्वीकृति की छाया प्रति उपलब्ध करायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में [illegible] नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर [illegible] रजिस्टर की गई तथा

अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पत्र कमांक 84 दिनांक 09–7–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना के कम में अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक 45 दिनांक 21.5.2021 से स्पीड पोस्ट से सूचना भिजवा दी गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। आवेदक को दिये गये पत्र प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:39 IST
Reason: SelfAttested